

सचिन पायलट होंगे कांग्रेस का नया ओबीसी चेहरा

राहुल गांधी ने यह सोचा समझा निर्णय लिया, जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद। इस निर्णय से बैकवर्ड, दलित व आदिवासी देश की राजनीति में अब पूरी तरह से सैंटर स्टेज पर आ गये हैं

**-रेणु मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का नया ओबीसी चेहरा हैं। राहुल गांधी ने बहुत सोच-विचार कर उन्हें, खासतौर से जातिगत जनगणना के संदर्भ में, पार्टी के नये ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जातिगत सर्वे ने पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र में पहुँचा दिया है।

आज शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की मीटिंग के बाद, सचिन पायलट और भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस के लिये उतारा गया। ये दोनों ही ओबीसी हैं। लेकिन चौँकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिये वे ईडी की नजर में हैं तथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। बघेल का समय गुजर चुका है। सचिन पायलट युवा और करिश्माई नेता हैं। वे स्वच्छ छवि के मालिक हैं तथा युवा एवं महिलाएं उनकी जबरदस्त प्रशंसक एवं समर्थक हैं। उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान में ही नहीं,

- सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक के बाद, शाम को सचिन पायलट व भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करने के लिये उतारा कांग्रेस हाईकमान ने।
- दोनों, नेता ओबीसी हैं। बघेल हालांकि वजनी हैं, क्योंकि, मु.मंत्री रह चुके हैं, परन्तु उन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है तथा भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
- अतः बघेल बीता हुआ, “पास्ट” (इतिहास) हैं। पर, पायलट युवा हैं, करिश्माई हैं तथा साफ व स्वच्छ छवि के नेता हैं, जिनकी युवाओं में, महिलाओं में, अच्छी लोकप्रियता है, केवल राजस्थान में ही नहीं, पर, उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी।
- राहुल गांधी लगातार “जातिगत जनगणना” की बात कर रहे थे तथा ओबीसी, दलित व आदिवासी को पुनः कांग्रेस में लाने के लिये जातिगत नेताओं (कास्ट लीडर्स) को प्रोजैक्ट करने की जरूरत को पहचान रहे हैं।

अपितु पूरे उत्तर भारत में है। अगर कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिये जोर लगाया होता, तो वे किसी भी पार्टी के प्रथम गुर्जर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आये होते और कांग्रेस

कार्यान्वित करना बिल्कुल भिन्न चीज है। चौँकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के महत्व और आवश्यकता के बारे में, तथा ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को कांग्रेस में वापस लाने की जरूरत के बारे में निरन्तर बात करते आ रहे हैं, इसलिये उन्होंने पिछड़ी जातियों के नेताओं को प्रोजेक्ट करना शुरु कर दिया है। अपेक्षानुरूप, सीडब्ल्यूसी मीटिंग मूलतः दो बिन्दुओं पर केंद्रित थी: पहलगाम हमला, जिसके विषय में एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री से कहा गया कि वे पाकिस्तान तथा उसके द्वारा पोषित आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। दूसरा बिन्दु जातिगत जनगणना थी, जिसके बारे में सरकार ने जो घोषणा की है, उससे कहीं बहुत ज्यादा कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस को आशंका है कि मोदी सरकार के अन्य जुमलों की तरह, जातिगत जनगणना भी कहीं एक जुमला बनकर न रह जाये। सीडब्ल्यूसी ने जो देकर कहा कि जातिगत सर्वे सही रूप में कार्यान्वित हो, जिससे यह सामाजिक सशक्तीकरण एवं परिवर्तन का एक प्रभावी उपाय बन सके।

महेश जोशी को 8 से 11 मई की अंतरिम जमानत मिली

जयपुर, 2 मई। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को, उनकी पत्नी के निधन के चलते, 8 से 11 मई तक अंतरिम जमानत का लाभ दिया है। जोशी को अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 11 मई को सुबह 8 बजे जेल में सरेंडर करना होगा। इससे पहले ईडी कोर्ट ने जोशी को गत 28 अप्रैल को पत्नी के अंतिम क्रिया- कर्म व धार्मिक रिवाजों के निर्वाह के लिए 4 दिन की अंतरिम

- महेश जोशी के अधिवक्ता ने पत्नी के निधन के संबंध में रीति-रिवाजों के लिये अंतरिम जमानत 9 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

जमानत दी थी। इस अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने के लिए जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला शुक्रवार पर रखा था। वहीं, अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार शाम को जोशी ने जेल में सरेंडर कर दिया था। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि महेश जोशी को उनकी पत्नी के निधन के बाद के रीति रिवाजों में हिस्सा लेना है। वे 71 साल के हैं और पत्नी के निधन के बाद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गिरते पड़ते, किसी भी तरह शशि थरुर पहुँच ही गये, एयरपोर्ट प्र.मंत्री को “रिसीव” करने

इससे प्र.मंत्री मोदी को मौका मिल गया, कांग्रेस पर कटाक्ष करने का कि थरुर के इस कठिन प्रयास से कई नेताओं की नींद उड़ जायेगी

**-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। तिरुवन्तपुरम लोकसभा सांसद शशि थरुर, जो हमेशा घूमते रहते है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जो गुरुवार रात केरल की राजधानी पहुँचे थे, के आगमन पर स्वागत के लिये ठीक समय पर पहुँच ही गये थे और इससे प्रधानमंत्री को थरुर की कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करने का अवसर मिल गया।

मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुये कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरुर की यहाँ विजिंजम इंटरनैशनल सीपोर्ट पर मौजूदगी से बहुत से लोगों की “रातों की नींद उड़ गई होगी।”

थरुर की वहाँ मौजूदगी पर मोदी की सीधी टिप्पणी ऐसे समय हुई है, तिरुवन्तपुरम के कांग्रेस सांसद (थरुर) पर उन्हीं की पार्टी के उनके साथी यह आरोप लगा रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले पर थरुर भाजपा के प्रति नरम रख अपना रहे हैं।

थरुर ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे किस तरह एयरपोर्ट पहुँचे। उन्होंने

- मोदी का कटाक्ष इसलिए मायने रखता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता, आजकल थरुर पर आरोप लगा रहे हैं कि थरुर पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद से भाजपा के प्रति अधिक नरम हो गये हैं, उतने आक्रामक नहीं रहे।

“एक्स” पर लिखा, “दिल्ली एयरपोर्ट पर विलम्ब हो जाने के बावजूद, मेरे लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर, उनके स्वागत के लिये मैं किसी तरह तिरुवन्तपुरम समय पर पहुँच ही गया। विजिन्जम पोर्ट, जिस प्रोजैक्ट से शुरु से ही जुड़े होने का मुझे गर्व है, को उनके द्वारा विधिवत रूप से लोकार्पित किये जाने की मुझे उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा थी।”

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 में यह पहली केरल यात्रा है और यहाँ एक बहुत बड़े इन्फ्रास्टक्चर प्रोजैक्ट को लोकार्पित करने आये हैं, जो केरल ही नहीं, पूरे देश के स्वरूप को बदल देगा। शशि थरुर 2009 से निरन्तर तिरुवन्तपुरम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और

विजिंजम तो उनके मन में बसता है। केरल की राजधानी की अभूतपूर्व रूप से सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, प्रधानमंत्री तिरुवन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। विजिन्जम इंटरनैशनल डीपवॉटर मल्टीपरवज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करने केरल की राजधानी में आये। यह 8900 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुआ है।

यह देश का प्रथम कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में, “विकसित भारत” के स्वप्न के हिस्से के रूप में, क्रांतिकारी तरक्की का प्रतिनिधित्व करता है।

सामरिक महत्व वाले विजिन्जम पोर्ट की पहचान अत्यधिक प्राथमिकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असुरक्षित होटलों के संचालन पर रोक लगायें

राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर होटल अग्निकांड पर दिशा निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर के होटल में हुए अग्निकांड के बाद ऐसे असुरक्षित होटलों को बंद करने की मंशा जताई है। आयोग ने कहा कि अजमेर में रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिला प्रशासन और नगर निगम सभी सरायों और होटलों की सूची बनाकर, उन्हें असुरक्षित पाए जाने पर, उनके संचालन पर रोक लगाए। इसके साथ ही, इन होटलों में फायर एनओसी की अनिवार्यता को लागू करें, ताकि यहां ठहरने वालों के साथ अग्निकांड जैसी जानलेवा घटना न हो। वहीं, आयोग ने अजमेर कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को कहा है कि शहर की सभी होटलों की सूची बनाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को कन्फर्म कर

- आयोग ने अजमेर कलैक्टर, एसपी तथा निगम आयुक्त को अजमेर के होटलों की सूची बनाकर सुरक्षा व्यवस्था की कन्फर्म रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इसकी रिपोर्ट आयोग में पेश की जाये और अग्निकांड में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देना सुनिश्चित किया जाये। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर दिए।

आयोग ने कहा कि अग्निकांड में जले होटल के मालिक ने स्थानीय प्रशासन से बिना फायर एनओसी लिए होटल संचालित की, जिसके चलते आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आग की लपटें देखकर होटल कर्मचारी भाग गए और

एक महिला को अपने बच्चे को बचाने के लिए होटल से नीचे फेंकना पड़ा। आयोग ने कहा कि शहर के कई आवासीय भवनों को होटलों में तब्दील किया जा चुका है और विभागों की स्वीकृति और एनओसी के बिना इनका संचालन किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से इस आवश्यक पहलू को नजरअंदाज किया गया है, जिससे दरगाह के आसपास अग्निकांड होने पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने और बचाव कार्य में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के टेंडरों की जाँच के लिये आठ सप्ताह का समय

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बीते पांच साल में दिए पांच सौ टेंडरों में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जाँच एजेंसी को आठ सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका

- विभाग के पाँच साल के पाँच सौ टेंडरों की जाँच के लिये गठित एसआईटी ने जाँच के लिये हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा।

पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अदालत में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हिमांशी तुम एक “परफैक्ट” फौजी वाइफ हो’

ले. विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का भारतीय नौ सेना के तेरहवें एडमिरल की पत्नी ललिता रामदास ने अभिनंदन किया

**-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। भारतीय नौ सेना के तेरहवें एडमिरल स्व. रामदास की पत्नी ललिता रामदास, जो एक शिक्षाविद् हैं, ने हिमांशी नरवाल की प्रशंसा की और कहा कि वे सही मायने में एक “फौजी की पत्नी” (परफैक्ट फौजी वाइफ) हैं, हिमांशी के पति लैफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगाम हमले में शहीद हो गए थे।

गुरुवार को विनय नरवाल का 27 वां जन्मदिन था। हिमांशी ने अपने दुःख और पीड़ा को दर्किनार रखकर शांति और सद्भावना की अपील कर गरिमा और परिपक्वता का परिचय दिया है। जिसका सोशल मीडिया पर कई दक्षिण पंथियों ने विरोध किया।

हिमांशी ने कहा, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए। लेकिन हम न्याय

- जैसा कि विदित ही है, ले. विनय नरवाल गत 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गये थे और हिमांशी शादी के दस दिन बाद ही विधवा हो गई थी।
- गत गुरुवार को ले. नरवाल का 27वां जन्म दिन होता। उस दिन हिमांशी ने अपील की थी कि जो लोग ले. नरवाल के मौत का कारण बने, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये। पर, मैं नहीं चाहती कि हमें सभी मुसलमानों व कश्मीरियों पर गुस्सा निकालना चाहिये और उन्हें गालियाँ देनी चाहिये।

चाहते हैं। जिन लोगों ने विनय की हत्या की, उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी ने यह बात हरियाणा के करनाल में एक रक्तदान शिविर में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

ललिता रामदास ने एक नोट में लिखा कि हिमांशी, आप सही मायने में फौजी की पत्नी हैं, सेना, संविधान और

धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुकूल हैं। हिमांशी, जो अपनी शादी के 6 दिन बाद ही विधवा हो गई थी, को ललिता रामदास ने यह नोट लिखा। जाने-माने पत्रकार व लेखक परन्जॉय गुहा ठाकुरता ने यह पत्र सोशल मीडिया पर डाला है।

हिमांशी और विनय हनीमून के

लिए कश्मीर गए थे, क्योंकि यूरोप का वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी।

ललिता रामदास ने लिखा, “नौसेना अधिकारी की संभवतया सबसे उग्रदराज बेटी व पत्नी, जो आज भी जीवित है, की तरफ से नौसैनिक अधिकारियों की पत्नियों की जमात में शामिल सबसे युवा सदस्य को व्यक्तिगत टिप्पू है।” जातव्य है कि ललिता के पिता भी नेवी में एडमिरल थे।

ललिता ने लिखा, “मुझे आप पर बहुत गर्व है, और मैं प्रैस से कहे गए आपके शब्दों की क्लिप बार-बार देखती हूँ। बाइस तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या के बाद, जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशान बनाने और नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो आपकी असाधारण शक्ति, धैर्य और दृढ़ विश्वास वाकई उल्लेखनीय है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य सरकार व चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कार्यक्रम बनाये

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाए जाने से जुड़े मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा है कि वे चुनाव कार्यक्रम सहित बताए

- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 फरवरी तथा 25 मार्च 2025 के निर्देशों की पालना करने के लिये भी कहा।

कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। वहीं, राज्य सरकार को इस संबंध में 4 फरवरी 2025 व 25 मार्च 2025 को दिए गए निर्देशों की पालना के लिए कहा है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जस्टिस चन्द्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिराज सिंह देवदा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 30 मई को तय की है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जातिगत जनगणना में मुसलमानों की जाति/ उपजाति का उल्लेख करना साजिश है’

कई मुसलमान नेताओं का मानना है कि जाति जनगणना में पसमंदा मुसलमानों व अशरफ मुसलमानों आदि से अपनी जाति/उपजाति लिखवाने का प्रावधान मुस्लिम समुदाय को जातियों व उपजातियों में बांटने की सुनियोजित चाल है।

- इन नेताओं के अनुसार, पूरे मुस्लिम समुदाय ने एकजुट व संगठित होकर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया था, अब सरकार जातिगत जनगणना के जरिए मुसलमानों की एकता व एकजुटता को तोड़ना चाहती है।
- इन मुस्लिम नेताओं के अनुसार, मुसलमानों में पसमंदा (बैकवर्ड) मुसलमान व अशरफ, अपर कास्ट जैसे सैय्यद, पठान, शेख आदि में विभाजन मौजूद है, पर, पूरे मुस्लिम समुदाय के हितों व समाज के “कम्युनिटी वेलफेयर” के कारण विभाजन सदा सुस्त रहते हैं, पर, अब जातिगत जनगणना, इस विभाजन (फॉल्ट लाइन) को और प्रज्ज्वलित करेगी।

उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है।

इस मुद्दे के मूल में, हाल ही में लागू किए गए वक्फ कानून को लेकर बढ़ता

तनाव है। यह कानून, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पुनर्गठित और केन्द्रीकृत करना था, को मुस्लिम नेताओं और अन्य लोगों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को विपक्ष की एकता पर आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि हिन्दू बहुल विपक्षी दलों ने भी कानून को चुनौती देने के लिए मुस्लिम नेतृत्व के साथ हाथ मिलाया। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस अप्रत्याशित गठबंधन का सामना करने के लिए मोदी सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा।

दिल्ली के एक राजनीतिक विश्लेषक, डॉ. इमरान कुरैशी का कहना है, “जाति गणना उतनी अनुकूल नहीं है, जितनी नज़र आती है। धार्मिक संबद्धता

के साथ-साथ जाति की पहचान को अनिवार्य करके, सरकार मुस्लिम समुदाय के अंदर कलह का बीज बोने का प्रयास कर रही है। मुसलमानों में पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों और अशरफ (ऊँची जाति) सय्यद, पठान और शैख के बीच विभाजन वास्तविक है। पर मुस्लिम समाज के हित में इन्हें कभी भी उभारा नहीं गया और यह सर्वे इन दरारों को उभार देगा।

पसमांदा मुस्लिम मूवमेंट, जो पिछड़े व दलित मुसलमानों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है, को हाल ही में काफी बल मिला है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनैतिक रणनीतिकार मानते हैं कि मुस्लिम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- नैशनल हैरल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देश पर न्ययाधीश ने ये नोटिस जारी ? किए हैं।

अदालत में कार्यवाई के लिए नयी शिकायत दायर की थी। इसमें संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाये गये हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम) ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किये। यह मामला (शेष अंतिम पृष्ठ पर)